



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-13072026-274414
CG-AS-E-13072026-274414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3635]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3635]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगांव, 29 जून, 2026

का.आ. 3797(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लेखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी दोहरीकरण (56.41 किमी.)	बिहार और पश्चिम बंगाल

[फा.सं. W/207/CON/NJP/LAND/TKG-SGUJ]

हितेंद्र गोयल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northeast Frontier Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Malegaon, the:29th June, 2026

S.O. 3797(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Central Government, hereby notifies the following project as Special railway projects, as mentioned in column (2) of the table below in the states mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sr. No.	Name of Project	States/UT
(1)	(2)	(3)
1	Thakurganj-Siliguri Doubling (56.41 Km)	Bihar and West Bengal

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/TKG-SGUV]

HITENDRA GOYAL, CAO/CON-2